इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 238] भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 जून 2019—ज्येष्ठ 27, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 जून 2019

क्र. 10400-140-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ४ सन् २०१९

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१९

["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १७ जून, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत:, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१९ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. २२ सन् १९७३ का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में,—

(एक) भाग एक में, अनुक्रमांक २, ५ और ६ तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
"२.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर, मण्डला, कटनी, डिण्डोरी और नरसिंहपुर.
५.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा.	रीवा	रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और सिंगरौली.
६.	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल.	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, राजगढ़ और हरदा.'';

(दो) भाग दो में, अनुक्रमांक १ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
"२.	छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा.	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और बैतूल".

भोपाल :
तारीख : १७ जून, २०१९.

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 17 जून 2019

क्र. 10400-140-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

NO. 4 OF 2019

THE MADHYA PRADESH VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN)

ADHYADESH, 2019

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 17th June, 2019.]

Promulgated by the Governor in the seventieth year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhyadesh, 2019.

2. It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Madhya Pradesh Act No. 22 of 1973 to be temporarily amendment.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in Section 3.

Amendment of Second Sehedule.

3. In the Second Schedule to the principal Act,—

(i) in Part 1, for serial numbers 2, 5 and 6 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of University	Headquarters	Territorial jurisdiction (area comprised within the limits of revenue district)
(1)	(2)	(3)	(4)
"2.	Rani Durgawati Vishwavidyalaya, Jabalpur.	Jabalpur	Jabalpur, Mandla, Katni, Dindori, and Narsinghpur.
5.	Awadesh Pratap Singh Vishwavidyalaya Rewa.	Rewa	Rewa, Satna, Sidhi, Shahdol, Anuppur, Umaria and Singroli.
6.	Barkatullau Vishwavidyalaya Bhopal.	Bhopal	Bhopal, Sehore, Raisen, Vidisha, Hoshangabad, Rajgarh and Harda.'';

(ii) in Part II, after serial numbers 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:—

S. No.	Name of University	Headquarters	Territorial jurisdiction (area comprised within the limits of revenue district)
(1)	(2)	(3)	(4)
"2.	Chhindwara University Chhindwara.	Chhindwara	Chhindwara Seoni, Balaghat, and Betul''.

Bhopal :

Dated the 17th June 2019

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.